अधिसूचना

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''34. धारा 28 के अधीन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में, धारा 64(2)(h) के अधीन टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों एवं वन विभाग द्वारा संचालित चिड़ियाघरों में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क और प्रवेश अनुज्ञा की शर्ते :

1. **प्रवेश अनुज्ञा पत्र :**

1.1 कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों एवं चिड़ियाघरों में, धारा 28 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए एवं उपधारा (2) के अनुसार इन नियमों में यथा विहित शर्तों के अधीन विहित ऐसे शुल्क के भुगतान पर, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध प्रवेश अनुज्ञा पत्र के बिना, प्रवेश नहीं करेगा।

1.2 प्रवेश अनुज्ञा पत्र वैयक्तिक, अहस्तांतरणीय तथा एक बार प्रवेश के लिए या उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विधिमान्य होगा।

2. **विशेष प्रयोजनों के लिये प्रवेश शुल्क में छूट :**

2.1 राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, अर्थात् :–

2.1.1 वन्य जीवों का अध्ययन या अन्वेषण और उसके आनुषंगिक प्रयोजन;

2.1.2 वैज्ञानिक अनुसंधान;

2.1.3 राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार का संव्यवहार;

2.1.4 टाइगर रिजर्व के बफर जोन में या राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की 5 किलोमीटर की सीमाओं के भीतर स्थित ग्रामों की मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं

DRAFT

के छात्रों की अध्ययन यात्रा अथवा ईको विकास समितियों के सदस्यों की प्राधिकृत अध्ययन यात्रा;

2.1.5 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार या विभिन्न राज्यों के वन विभागों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, प्रशिक्षुओं, अनुदेशकों और सहायक कर्मचारिवृंद की प्राधिकृत अध्ययन यात्रा;

2.1.6 वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह में पुरस्कृत प्रतिभागी को एक बार पुरस्कार के रूप में, अनुभूति कार्यक्रम एवं मोगली उत्सव कार्यक्रम के प्रतिभागियों को कार्यक्रम के दौरान :

2.1.7 अपने अभिभावकों के साथ भ्रमण कर रहे 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रवेश।

2.2 2.1.4 के अतिरिक्त, अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्र–छात्राओं को नियमित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी बशर्ते ऐसी प्राधिकृत अध्ययन यात्राओं की पूर्व सूचना दी गई हो। यह सुविधा किसी संस्थान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पूरे पर्यटन वर्ष, अर्थात् 1 जुलाई से 30 जून तक की खुली अवधि, में केवल एक बार एक भ्रमण हेतु दी जाएगी।

2.3 विशेष परिस्थितियों में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश अथवा संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह को निर्धारित धारण क्षमता की सीमाओं के भीतर निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।

2.4 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 में वर्णित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं पात्रता का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के आधार पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा पृथक् से किया जाएगा।

3. पर्यटन प्रयोजनों हेतु संरक्षित क्षेत्रों का श्रेणीकरण एवं प्रवेश शुल्क

3.1 वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों की श्रेणी तालिका

क्र.	श्रेणी	सम्मिलित संरक्षित क्षेत्रों का विवरण	श्रेणी गुणांक /तालिका
1	श्रेणी–1	मध्य प्रदेश के समस्त टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों विस्तारित पर्यटन जोन, कोर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित अभयारण्यों को समाहित करते हुए एवं ऐसे पर्यटन जोन जो आंशिकतः कोर एवं बफर दोनों क्षेत्रों में विस्तारित हों।	1
2	श्रेणी–2	मध्य प्रदेश के समस्त टाइगर रिजर्वों के बफर क्षेत्र में विस्तारित पर्यटन जोन तथा फेन अभयारण्य	0.8
3	श्रेणी–3	माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं गांधीसागर, नौरादेही, रातापानी, कूनो पालपुर, खिवनी अभयारण्य	0.5

DRAFT

क्र.	श्रेणी	सम्मिलित संरक्षित क्षेत्रों का विवरण	श्रेणी गुणांक /तालिका
4	श्रेणी–4	(i) फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान घुघुवा, डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान धार (ii)सैलाना, सरदारपुर, घाटीगांव, करेरा, केन घड़ियाल, सोन घड़ियाल, राष्ट्रीय चंबल, नरसिंहगढ़, बगदरा, वीरांगना दुर्गावती, सिंघोरी, ओरछा अभयारण्य (iii) भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र के भीतर पर्यटन हेतु विनिश्चित समस्त विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट्स *	0.2
5	श्रेणी–5	भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र के भीतर पर्यटन हेतु विनिश्चित विशिष्ट स्थलों/व्यू पॉइंट्स में से कोई एक स्थल	0.1
6	श्रेणी–6	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर	तालिका 3.4

3.1.1 किसी संरक्षित क्षेत्र/चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क का निर्धारण उपरोक्त श्रेणी तालिका के अनुरूप संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी–गुणांक का निम्न तालिकाओं, 3.2 एवं 3.3 में उल्लेखित दरों से गुणा कर प्राप्त किया जावेगा। वास्तविक पर्यटन दरों का निर्धारण करते समय गुणनफल को अगले 5 रूपये के गुणांक (यदि गुणनफल राशि रूपये 100/– तक हो) या अगले रूपये 10/– के गुणांक (यदि गुणनफल राशि रूपये 100/– या अधिक हो) तक राउंड ऑफ किया जाएगा।

3.1.2 *ये दरें एक भ्रमण हेतु हैं एवं अनुज्ञा पत्र एक दिवस तक वैध रहेगा। पंचमढ़ी में समस्त व्यू पाइंट के भ्रमण के लिये पर्यटक दुगनी दर से भुगतान कर तीन दिवस वैधता वाला विशेष अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

3.2 वाहन आधारित पर्यटन हेतु प्रवेश शुल्क (राशि रू. में)

3.2.1 टाइगर रिजर्व एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के समक्ष पंजीकृत पर्यटक वाहनों से प्रवेश शुल्क दर तालिका

क्रमांक	वाहनों की श्रेणी/सीट संख्या के आधार पर अनुज्ञा पत्र का प्रकार	दरें (राशि रू. में)
1	एकल सीट अनुज्ञा (हल्के वाहन एवं मिनी बस)	250
2	संपूर्ण वाहन अनुज्ञा (केवल हल्के वाहन, अधिकतम 6 व्यक्ति)	1500

DRAFT

3.2.2 संरक्षित क्षेत्रों में निजी अपंजीकृत वाहनों से पर्यटन हेतु प्रवेश शुल्क दर तालिका जहां स्थानीय प्रबंधन द्वारा ऐसे वाहनों को अनुमति दी जावे।

क्रमांक	वाहनों की श्रेणी के आधार पर अनुज्ञा पत्र का प्रकार	दरें (राशि रू. में)
1	दोपहिया वाहन, (स्कूटर, मोटर साइकिल एवं अन्य दो पहिया मोटर वाहन अधिकतम 2 व्यक्ति)	1000
2	ऑटो रिक्शा (अधिकतम 3 व्यक्ति)	2000
3	हल्के अपंजीकृत निजी वाहन (कार/ जीप/ जिप्सी समकक्ष) अधिकतम 6 व्यक्ति	3000
4	अपंजीकृत बस/ मिनी बस	6000

3.2.3 उपरोक्त शुल्क मात्र प्रवेश अनुज्ञा पत्र हेतु हैं। गाइड शुल्क एवं भ्रमण हेतु प्रबंधन द्वारा पंजीकृत पर्यटक वाहन किराये पर लिये जाने पर वाहन शुल्क इसके अतिरिक्त है, भ्रमण हेतु प्रवेश के पूर्व देय होगा।

3.2.4 एकल सीट अनुज्ञा के अंतर्गत उपलब्ध अनुज्ञा पत्रों में भी पर्यटकों को अनुज्ञा दर के अतिरिक्त पर्यटक वाहन शुल्क तथा गाइड शुल्क प्रवेश के समय देय होगा। पर्यटन वाहन शुल्क तथा गाइड शुल्क प्रवेश के समय वाहन में उपस्थित कुल पर्यटकों की संख्या में बराबर–बराबर विभाजित किया जाकर देय होगा।

3.2.5 वाहन में अनुज्ञात सवारियों की संख्या में चालक और गाइड शामिल नहीं है।

3.2.6 क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी यह निर्धारण करेंगे कि पर्यटकों की सुरक्षा तथा पर्यटन मार्गों की स्थानीय परिस्थितियों आदि के आधार पर किस श्रेणी के वाहनों को पर्यटन हेतु संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

3.2.7 पंजीकृत वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता न होने पर अथवा अन्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर स्थानीय प्रबंधन द्वारा आदेश जारी कर अपंजीकृत वाहनों को प्रवेश हेतु अनुमति जारी की जा सकेगी। ऑन लाईन बुक किये गये अनुज्ञा पत्रों में दरों के अंतर की राशि पार्क प्रवेश के समय देय होगी।

3.2.8 तालिका 3.2.1 में उल्लेखित एकल सीट अनुज्ञा हेतु प्रवेश दरों में 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों हेतु आधा शुल्क देय होगा एवं उन्हे वाहन में एक सीट उपलब्ध कराई जायेगी। 05 वर्ष से कम आयु के बच्चे निःशुल्क प्रवेश के पात्र होगें एवं अपने अभिभावको के साथ बैठेंगे।

DRAFT

3.2.9 यदि किसी पर्यटक के पास श्रेणी–1, श्रेणी–2, श्रेणी–3, श्रेणी–4(ii) के अंतर्गत प्रवेश शुल्क का भुगतान उपरांत वाहन द्वारा किसी पर्यटन जोन में संपूर्ण सफारी राउन्ड हेतु अनुज्ञा पत्र हो, तो वह उस पर्यटन जोन के भीतर स्थित किसी विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट में बिना कोई अतिरिक्त शुल्क जा सकेगा। कोई पर्यटक, संरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित विनिश्चित विशिष्ट स्थल/ व्यू पॉइंट मात्र का भ्रमण करना चाहता है तो उसे उपरोक्त तालिकाओं में श्रेणी–4(iii)/ श्रेणी–5 के अनुसार शुल्क देय होगा। इस प्रकार से केवल विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट का अनुज्ञा पत्र लेने वाले पर्यटक प्रबंधन के द्वारा निर्धारित मार्ग एवं समय पर ही उक्त स्थल पर जा सकेंगे।

3.2.10 क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा, होटल/रिसॉर्ट/लॉज से अनुरोध प्राप्त होने पर, संरक्षित क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्र में कार्यरत होटल/लॉज/रिसॉर्ट हेतु सीमित संख्या में, एक वर्ष के लिये वैध, प्रति नेचुरलिस्ट रू. 10,000/– के पंजीकरण शुल्क पर नेचुरलिस्टों को पंजीकृत कर परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा।

3.2.11 अनुज्ञापत्र धारी पर्यटकों के साथ पंजीकृत पर्यटक वाहनों में स्थान उपलब्ध होने पर उक्त नेचुरलिस्ट, अनुज्ञा पत्र में नाम दर्ज न होने पर भी, पर्यटकों के वाहन में सहयोगी के रूप में जा सकेंगे। ऐसे वाहनों में पार्क गाइड भी पूर्ववत् की भांति उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

3.3 वाहन द्वारा पार्क भ्रमण के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों हेतु प्रवेश शुल्क (राशि रू. में)

क्र.	प्रवेश का प्रयोजन	प्रति पर्यटक दर
1	पैदल/ ट्रैकिंग/ साइकलिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए विनिर्दिष्ट मार्गों पर)	250
2	विनिर्दिष्ट हाइड (hide)/मचान/वॉच टॉवर से वन्य प्राणी दर्शन संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किये गये स्थल में।	600
3	कैंपिंग (केवल संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए परिसरों में	1500

3.4 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघंर हेतु प्रवेश शुल्क

3.4.1 शुल्क तालिका

क्र.	भ्रमण का प्रकार	पर्यटकों हेतु प्रवेश शुल्क (रू. में)
1	पैदल भ्रमण	20/– प्रति व्यक्ति
2	साइकिल द्वारा भ्रमण (एक व्यक्ति)	30/– प्रति साइकिल
3	दो पहिया मोटर वाहन (अधिकतम दो व्यक्ति)	60/– प्रति मोटर वाहन
4	ऑटो रिक्शा (चालक सहित अधिकतम 4 व्यक्ति)	120/– प्रति वाहन
5	हल्के चार पहिया वाहन (अधिकतम 5 व्यक्ति क्षमता वाले)	250/– प्रति वाहन
6	हल्के चार पहिया वाहन(5 व्यक्ति से अधिक की क्षमता वाले)	400/– प्रति वाहन
7	मिनी बस (अधिकतम 20 व्यक्ति की क्षमता तक)	1000/–प्रति वाहन
8	बस (20 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले)	2000/–प्रति वाहन
9	गोल्फ कार्ट से भ्रमण अथवा सफारी भ्रमण (प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से)	प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त रू.50/व्यक्ति

DRAFT

3.4.2 3.4.1 में उल्लेखित दरें श्रेणी–6 हेतु सामान्य (Generic Rates) दरें हैं। संरक्षित क्षेत्र/ चिड़ियाघर के भारसाधक अधिकारी यह निर्धारण करेंगे कि उनके संरक्षित क्षेत्र हेतु उपरोक्त में से कौनसी गतिविधियां उपयुक्त हैं तथा तदनुसार प्रवेश शुल्क लेकर उपयुक्त गतिविधियों हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करेंगे।

3.4.3 बिन्दु क्र. 2 से 8 पर वाहन हेतु दरों में पर्यटकों का प्रवेश शुल्क सम्मिलित है। वाहन में पर्यटकों की संख्या वाहन की पंजीकृत पासिंग क्षमता से अधिक नहीं हो सकेगी।

3.4.4 क्र. 9 पर गोल्फ कार्ट से भ्रमण/सफारी भ्रमण शुल्क बिन्दु 01 से 08 तक दर्ज प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त है।

3.4.5 सफारी भ्रमण हेतु पर्यटकों की वाहन में न्यूनतम आवश्यक संख्या संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जावेगी। पर्याप्त पर्यटक संख्या न होने पर इच्छुक पर्यटक चाहें तो निर्धारित न्यूनतम संख्या अनुरूप व्यक्तियों का सफारी शुल्क देकर सफारी कर सकेंगे।

3.5 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान/रालामंडल अभयारण्य में प्रबंधन द्वारा निर्धारित मार्गों पर प्रतिदिन सीमित अवधि हेतु पैदल या साइकिल द्वारा पार्क भ्रमण – मासिक/ वार्षिक/ आजीवन दर आदि

अ. क्र.	प्रवेश का प्रकार	मासिक शुल्क (प्रति व्यक्ति)	वार्षिक शुल्क (प्रति व्यक्ति)	आजीवन शुल्क (प्रति व्यक्ति)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पैदल	रू. 300	रू. 3000	रू. 24,000	संचालक या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस हेतु अवधि निर्धारण किया जाकर नियमित प्रवेश हेतु पास जारी किए जाएंगे।
2	साइकिल द्वारा	रू. 450	रू. 4500	रू. 30,000	

3.6 संरक्षित क्षेत्रों में क्षेत्र की विशिष्टताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपरोक्त गतिविधियों में से क्षेत्र हेतु उपयुक्त गतिविधियों का निर्धारण किया जाकर संचालन किया जावेंगा। वह पर्यटकों हेतु कोई नई गतिविधि भी शामिल कर सकेगा। नई गतिविधि प्रारंभ करने के पूर्व वह गतिविधि के क्षेत्र एवं शुल्क का निर्धारण कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अनुमोदन लेगा।

DRAFT

4. ऑनलाइन अनुज्ञा पत्रों का जारी किया जाना

4.1 जिन संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटक धारण क्षमता के निर्धारण अनुसार प्रतिदिन जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्रों की संख्या निर्धारित है, कुल पर्यटक अनुज्ञा पत्र तालिका में दिये प्रतिशत अनुसार ऑनलाइन बुकिंग /पर्यटन द्वार पर उपलब्ध होंगे। प्रतिशत अनुसार अनुज्ञा पत्रों की वास्तविक संख्या की गणना करते समय युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

एकल सीट अनुज्ञा (ऑन लाइन)	एकल सीट अनुज्ञा (पर्यटन द्वार पर)	क्षेत्र संचालक कोटा	संपूर्ण वाहन अनुज्ञा (ऑन लाइन)
10%	10%	10%	शेष अनुज्ञा पत्र

4.2 जिन पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटक धारण क्षमता एवं प्रतिदिन जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्रों की सीमा निर्धारित नहीं है, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक ऐसे क्षेत्रों हेतु धारण क्षमता निर्धारित कर सकेंगे। क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध अनुज्ञा पत्रों की संख्या निर्धारित करेंगे।

4.3 पर्यटन द्वार अनुज्ञा पत्र सफारी दिवस के एक दिन पूर्व सायं काल 5:00 के पश्चात उपलब्ध होंगे। बुकिंग का वास्तविक समय संरक्षित क्षेत्र के भार साधक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

4.4 सुनिश्चित एकल सीट अनुज्ञा पत्रधारी वास्तविक पर्यटकों को पार्क प्रवेश समय के आधा घंटा पूर्व निर्धारित प्रवेश द्वार पर काउंटर में उपस्थित होकर अपना अनुज्ञा पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश समय के आधा घंटा पूर्व उपस्थित होने में असफल रहने पर उनका अनुज्ञा पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा। ऐसा अनुज्ञा पत्र प्रवेश द्वार पर एकल सीट अनुज्ञा हेतु उपलब्ध होगा।

4.5 संपूर्ण वाहन अनुज्ञा पत्र धारी पर्यटकों को प्रातः सफारी हेतु पार्क प्रवेश समय के एक घंटा पश्चात् तक तथा सायं सफारी हेतु पार्क प्रवेश समय के आधा घंटा पश्चात् तक प्रवेश द्वार पर उपस्थित होकर अपना अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस समय तक पहुंचने में असफल रहने पर उनका अनुज्ञा पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं ऐसा अनुज्ञा पत्र प्रवेश द्वार पर एकल सीट अनुज्ञा हेतु उपलब्ध होगा। ऐसे उपलब्ध अनुज्ञा पत्रों पर पर्यटक अगले 30 मिनिट तक पार्क के भीतर प्रवेश कर सकेंगे। पूर्व से अनुज्ञापत्र धारी पर्यटकों के समय पर न पहुंच पाने के उपरांत जारी हुए अनुज्ञा पत्र की स्थिति के अतिरिक्त सामान्यतः प्रवेश समय के एक घंटे बाद पर्यटक भ्रमण हेतु प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

DRAFT

4.6 अनुज्ञा प्रमाणपत्रों में सूचीबद्ध सभी वयस्क भारतीय पर्यटकों को पहचान पत्र के रूप में को कोई एक वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, पेनकार्ड, वोटर आईडी, केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा जारी अन्य परिचय पत्र, स्कूल–कॉलेज के परिचय पत्र) रखना अनिवार्य होगा। व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित न किये जा सकने पर अनुज्ञा पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

4.7 अनुज्ञा प्रमाणपत्रों में सूचीबद्ध सभी विदेशी पर्यटकों को पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित न किये जा सकने पर अनुज्ञा पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

4.8 ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था के अंतर्गत किसी दिनांक हेतु पर्यटन क्षेत्र के संपूर्ण वाहन अनुज्ञा पत्रों की उपलब्धता समाप्त होने पर इच्छुक पर्यटकों को सीमित संख्या में संपूर्ण वाहन अनुज्ञा पत्र के वेटिंग अनुज्ञा पत्र (ऑनलाइन टिकिटों का 10%, युक्तियुक्तकरण पश्चात) जारी किये जावेंगे। ऑनलाइन अनुज्ञा पत्र निरस्तीकरण की स्थिति में वेटिंग अनुज्ञा पत्रकों को प्राथमिकता से कन्फर्म किया जावेगा। यदि वेटलिस्ट अनुज्ञा पत्र सफारी के 5 दिवस पूर्व तक भी कन्फर्म नहीं हो पाता है तो वह अनुज्ञा पत्र स्वमेव निरस्त हो जाएगा एवं बुकिंग के दौरान लिया गया प्रवेश शुल्क पोर्टल फीस घटाकर लौटा दिया जाएगा।

5 एड–ऑन सुविधा

5.1 उन संरक्षित क्षेत्रों के लिये जहां ऑनलाइन अनुज्ञा पत्र बुकिंग की सुविधा है, तो पहले से बुक किये गये संपूर्ण वाहन अनुज्ञा पत्र में पर्यटकों के नाम ऑनलाइन, वाहन की अधिकतम धारण क्षमता तक, निम्न शर्तों पर जोड़े जा सकेंगेः–

5.1.1 मूल रूप से बुक किये गये अनुज्ञा पत्र में कम से कम दो पर्यटकों का नाम हो।

5.1.2 कम से कम दो पर्यटक जिनके नाम मूल अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया गया था वे पार्क प्रवेश के समय मौजूद हों अन्यथा अनुज्ञा पत्र निरस्त माना जाएगा।

5.1.3 5.1.2 का प्रावधान केवल उन्हीं अनुज्ञा पत्रों पर लागू होगा जिनमें दोनों तरह के, मूल रूप से बुक किये गये एवं एडऑन सुविधा का उपयोग कर बुक किये गये, पर्यटक शामिल हों। उन अनुज्ञा पत्रों जिनमें एडऑन सुविधा का उपयोग नहीं किया गया हो, उसमें प्रथम दो अथवा कोई अन्य पर्यटक के सफारी के दौरान अनुपस्थित रहने पर भी अनुज्ञा पत्र वैध होगा एवं अन्य उपस्थित पर्यटक सफारी हेतु जा सकेंगे।

5.1.4 केवल एक बार में ही, अधिकतम चार अतिरिक्त पर्यटकों के नाम (एड ऑन) जोड़े जा सकेंगे। इस हेतु एक अनुज्ञा पत्र की दर, टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रूपये 1,500/– एवं अन्य क्षेत्रों हेतु तालिका 3.1 एवं 3.2 के अनुरूप का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

DRAFT

5.1.5 एड–ऑन सुविधा का उपयोग सफारी दिवस के 2 दिवस पूर्व तक ही किया जा सकेगा।

5.1.6 पुनर्निर्धारण सुविधा के उपयोग उपरांत एडऑन सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

6 निरस्तीकरण/ पुनर्निर्धारण शुल्क

6.1 ऑन लाइन बुक किये गये अनुज्ञा पत्रों को पर्यटक निरस्त अथवा एक बार पर्यटन दिवस एवं पर्यटन जोन (उसी संरक्षित क्षेत्र के भीतर) का पुनर्निर्धारण, उपलब्धता होने पर, कर सकेगा। ऐसे निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण निम्नानुसार तालिका अनुसार शुल्क देय होगा।

6.2 तालिका :–

क्र.	विवरण	निरस्तीकरण पश्चात् वापस देय राशि	पुनर्निर्धारण हेतु देय राशि
1	सफारी/प्रवेश दिनांक से 30 दिवस या अधिक पूर्व अनुज्ञा पत्र निरस्तीकरण/ पुनर्निर्धारण ।	पर्यटन अनुज्ञा पत्र के दर की संपूर्ण राशि, पोर्टल फीस काटकर	मात्र पोर्टल फीस
2	सफारी/प्रवेश दिनांक से 29 दिवस से 15 दिवस के बीच अनुज्ञा पत्र निरस्तीकरण/ पुनर्निर्धारण।	पर्यटन अनुज्ञा पत्र के दर की 50 प्रतिशत राशि एवं पोर्टल फीस काटकर शेष राशि	पर्यटन अनुज्ञा पत्र के दर की 50 प्रतिशत राशि एवं पोर्टल फीस
3	सफारी/प्रवेश दिनांक से 14 दिवस से सफारी प्रवेश दिनांक की पूर्व संध्या 5:00 बजे तक अनुज्ञा पत्र निरस्तीकरण/ पुनर्निर्धारण।	पोर्टल फीस एवं पर्यटन अनुज्ञा पत्र के दर की 75 प्रतिशत राशि काटकर, शेष राशि	पर्यटन अनुज्ञा पत्र के दर की 75 प्रतिशत राशि एवं पोर्टल फीस

6.3 ऑनलाइन बुक किये गये अनुज्ञा पत्र यदि 5 दिवस या उससे पहले निरस्त/ पुनर्निर्धारित किया जाता है, वह अनुज्ञा पत्र किसी अन्य पर्यटकों हेतु ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध होगा। यदि अनुज्ञा पत्र सफारी प्रवेश दिनांक के 5 या कम दिवस से सफारी की पूर्व संध्या 5 बजे तक निरस्तीकरण/ पुनर्निर्धारण किया जाता है, वह अनुज्ञा पत्र क्षेत्र संचालक कोटा के अंतर्गत बुकिंग हेतु उपलब्ध होगा। सफारी की पूर्व संध्या सायं 5:00 बजे के उपरांत अनुज्ञा पत्र निरस्त/ पुनर्निर्धारण कराना संभव नहीं होगा।

6.4 यदि पुनर्निर्धारण सुविधा के उपयोग उपरांत अनुज्ञा पत्र निरस्त कराया जाता है तो लौटायी जाने वाली राशि की गणना मूल अनुज्ञा पत्र की राशि, (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रूपये 1,500/– या अन्य क्षेत्रों हेतु शुल्क तालिका 3.1, 3.2 के द्वारा निर्धारित दर) के लागू प्रतिशत अनुसार की जावेगी।

DRAFT

6.5 यदि निरस्तीकरण सुविधा का उपयोग एड–ऑन सुविधा के उपयोग उपरांत किया जाता है तो निरस्तीकरण उपरांत लौटायी जाने वाली राशि की गणना मूल अनुज्ञा पत्र की राशि तथा एड–ऑन की सम्मिलित राशि (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रूपये 3,000/– या अन्य क्षेत्रों हेतु) शुल्क तालिका 3.1, 3.2 के द्वारा निर्धारित दर) रूपये 3,000/– के लागू प्रतिशत अनुसार की जाएगी।

6.6 यदि पुनर्निर्धारण सुविधा का उपयोग एड–ऑन सुविधा के उपयोग उपरांत किया जाता है तो पुनर्निर्धारण शुल्क की गणना मूल अनुज्ञा पत्र की राशि (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रूपये 1,500/– या अन्य क्षेत्रों हेतु शुल्क तालिका 3.1, 3.2 के द्वारा निर्धारित दर) के लागू प्रतिशत अनुसार की जाएगी।

7. संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन हेतु प्रवेश करने वाले वाहनों का नियमन

7.1 संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी अपने संरक्षित क्षेत्र के भीतर पर्यटन के उद्देश्य हेतु वाहनों का एक पर्यटन वर्ष हेतु पंजीयन करेंगे। वह भौगोलिक विशिष्टताओं, पर्यटन आवश्यकताओं एवं क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन हेतु प्रवेश करने वाले वाहनों और वाहन चालकों हेतु न्यूनतम अर्हताकारी मानक विनिश्चयित करेंगे। किसी श्रेणी के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर सकेंगे।

7.2 संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी क्षेत्र की पर्यटनधारण क्षमता, पर्यटकों के आने के रूझान, नवीन पर्यटक जोन की उपलब्धता के आधार पर एवं स्टेकहोल्डरों से चर्चा उपरांत पंजीकृत वाहन संख्या का निर्धारण करेंगे। यदि उक्त निर्धारित संख्या से वर्तमान में कम संख्या में पंजीकृत पर्यटक वाहन हैं तो अन्य नये वाहनों को पंजीकृत किया जा सकेगा। यदि उक्त निर्धारित संख्या से वर्तमान में अधिक वाहन हैं तो समस्त वाहनों को पंजीकृत किया जा सकेगा।

7.3 समस्त पंजीकृत वाहन रोस्टर व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करेंगे। उक्त रोस्टर व्यवस्था का प्रचालन क्षेंत्र संचालक के समक्ष पंजीकृत पर्यटक वाहन एसोसिएशन अथवा संरक्षित क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुरूप किया जाएगा।

7.4 मध्यप्रदेश पर्यटन निगम द्वारा संचालित पर्यटन बस अथवा पार्क प्रबंधन द्वारा संचालित कोई पर्यटक वाहन उक्त रोस्टर व्यवस्था का हिस्सा नही होगा।

7.5 पंजीकृत पर्यटक वाहनों को पर्यटकों को सफारी हेतु ले जाने के एवज में वाहन किराया शुल्क का भुगतान पर्यटकों द्वारा किया जाएगा। एक भ्रमण हेतु वाहन किराया शुल्क का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा पर्यटन जोन में मार्गों की लम्बाई, सफारी की अवधि, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा प्रचलित दरों को आधार मानते हुए किया जाएगा।

DRAFT

7.6 यदि कोई पर्यटक/पर्यटक समूह रोस्टर द्वारा उपलब्ध पंजीकृत वाहन के स्थान पर किसी अन्य पंजीकृत वाहन से पर्यटन की इच्छा रखता है तो उसे रोस्टर के अनुसार उपलब्ध वाहन को एक भ्रमण हेतु निर्धारित किराया राशि का 70 प्रतिशत क्षतिपूर्ति का भुगतान करना अनिवार्य होगा। उक्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत रोस्टर के अनुसार उक्त उपलब्ध वाहन रोस्टर पूर्ण होने तक अनुपलब्ध माना जाएगा तथा रोस्टर पूर्ण होने के उपरांत अगले रोस्टर में वह वाहन पुनः उपलब्ध होगा।

7.7 किसी वाहन को पंजीकृत करने के पूर्व, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा गठित समिति द्वारा, पर्यटन वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समस्त वाहनों का फिटनेस एवं वाहन तथा वाहन चालक हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी मानक के आधार पर परीक्षण किया जावेगा।

7.8 समस्त पंजीकृत वाहनों हेतु पंजीकरण शुल्क रूपये 2,000/– देय होगा। उक्त शुल्क संरक्षित क्षेत्र की विकास निधि में जमा किया जाएगा।

7.9 सुरक्षित वाहन चालन की दृष्टि से पंजीकृत पर्यटक वाहनों के वाहन चालकों का पर्यटन अवधि में संरक्षित क्षेत्र के अंदर फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित रहेगा।

7.10 क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी, अनुमति प्राप्त वाहनों के वाहन मालिक/ चालक द्वारा पर्यटन क्षेत्र में प्रवृत्त नियमों, अधिनियमों में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन होने पर वाहन की प्रवेश अनुमति/पंजीकरण किसी अवधि के लिये स्थगित की जा सकेगी अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

8. फिल्मांकन/ वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी हेतु शुल्क :

8.1 पर्यटकों को सामान्य सफारी भ्रमण के दौरान अपने स्टिल अथवा वीडियो कैमरे निःशुल्क उपयोग करने की अनुज्ञा होगी। पर्यटक अपने मोबाइल फोन अथवा समकक्ष उपकरणों का उपयोग फोटो खींचने के लिये कर सकेंगे। पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन साइलेंट में रखना अनिवार्य होगा। संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी इस संबंध में अतिरिक्त नियम लागू कर सकेंगे।

8.2 संरक्षित क्षेत्रों में विशेष फिल्मांकन / वीडियोंग्राफी /फोटोग्राफी की अनुज्ञा, क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा कैमरामेन के नाम से दी जाएगी। शुल्क के निर्धारण के लिए निम्नलिखित सारणी को आधार माना किया जाएगा।

अवधि	भारतीय शैक्षणिक/ अनुसंधान संस्थान; भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विभाग एवं संस्थान	अन्य (राशि रू. में)	अभ्युक्तियां
प्रथम सात दिन तक	10,000	40,000	प्रति कैमरा मैन प्रति दिन
आठवें दिन से 15 वें दिन	7,500	30,000	
सोलहवें दिन से आगे	5,000	20,000	

DRAFT

8.3 किसी संरक्षित क्षेत्र/चिड़ियाघर में फिल्मांकन / वीडियोंग्राफी/फोटोग्राफी के लिये अनुज्ञा पत्र शुल्क का निर्धारण करने हेतु श्रेणी तालिका 3.1 के अनुरूप संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी–गुणांक का दर तालिका 8.2 में उल्लेखित दरों से गुणा कर निकाली जावेगी। श्रेणी–6 हेतु श्रेणी–5 के अनुरूप गुणांक का उपयोग किया जाएगा। वास्तविक दरों का निर्धारण करते समय उसे निकटतम 5 रूपये या उसके गुणांकों तक राउंड ऑफ किया जाएगा।

8.4 यह दरें केवल तब लागू होंगी जब फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी के लिए निर्धारित समय के बाद तथा साधारण पर्यटकों के लिए मार्गों से हटकर मांगी जाती हैं। यह दरें वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी की पूरी अवधि के लिए शुल्क अग्रिम देय होगा। यह अनुज्ञा साधारणतः खुले सीजन के लिए जारी की जाएगी और यह अंशतः भी हो सकती है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की पूर्व अनुज्ञा से फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए प्रवेश की अनुज्ञा विशेष कारणों से बंद अवधि के दौरान भी दी जा सकेगी।

8.5 कैमरामेन से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी की अनुज्ञा जारी की गई है। उसे सहायता करने के लिए एक बार में दो व्यक्ति अनुज्ञात किये जा सकेंगे किंतु उन्हे फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा नहीं होगी। तीन व्यक्तियों की इस टीम से पृथक से कोई प्रवेश शुल्क भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

8.6 किसी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में वीडियो/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा साधारणतया केवल प्राकृतिक सौन्दर्य, वन्य जीव अथवा क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास की रिकार्डिंग करने के लिए ही दी जाएगी। तथापि, सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य कारण से भी ऐसे कार्य की अनुज्ञा दे सकेगी बशर्ते कि इससे पर्यावरण अथवा क्षेत्र के वन्यजीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। इस अनुज्ञा के लिए विशेष दरें प्रभारित की जाएंगी जो किसी भी दशा में, उपरोक्त नियम 8.2 एवं 8.3 में विहित दर से पांच गुना से कम नहीं होगी।

8.7 वन विभाग द्वारा बनाई जाने वाली अथवा अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से बनवाई जाने वाली वन्य जीवन आधारित ऐसी फिल्मों, जिनका उपयोग अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार अथवा संरक्षण शिक्षा के प्रयोजन लिए किया जाना है, के वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/ फोटोग्राफी लिए अनुज्ञा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा जारी की जा सकेगी, जिसके लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा। ऐसी फिल्मों पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. **हाथी पर भ्रमण :**

DRAFT

9.1 पर्यटन हेतु हाथी उपलब्ध होने पर संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्धारित मार्गों पर एवं निर्धारित शुल्क के भुगतान उपरांत पर्यटक हाथी से भ्रमण कर सकेंगे।

9.2 हाथी पर सवारी की अवधि आधा घंटा होगी, जिसके लिए प्रतिव्यक्ति रूपये 1,000/– शुल्क देय होगा। 5 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता/ अभिभावकों के साथ निःशुल्क अनुज्ञात किया जाएगा। 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों का आधा शुल्क देय होगा। किन्तु सीटों की गणना में पूर्ण सीट के समान माना जाएगा।

9.3 पर्यटन हेतु हाथी पर महावत के अलावा एक बार में अधिकतम चार व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।

9.4 हाथी सवारी हेतु अतिरिक्त पर्यटन नियमों का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

9.5 ऐसे कैमरामैन की मांग पर जिसने कि इन नियमों के नियम 8.2 एवं 8.3 के अधीन वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/ फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा प्राप्त की है, उपलब्ध होने पर, 3 घंटों के लिये एक हाथी निम्नलिखित शुल्क का भुगतान कर दिये जाने पर दिया जा सकेगा तथा उक्त फिल्मांकन हेतु कैमरामेन के साथ अधिकतम एक सहायक हाथी पर जा सकेगा :

(i)	भारतीय शैक्षणिक अथवा अनुसंधान संस्थान तथा भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार के विभागों और संस्थानों के लिए	Rs. 6,000/–
(ii)	अन्य सभी व्यक्ति एवं संस्थान	Rs 24,000/–

10. **नौकायन :**

10.1 ऐसे समस्त संरक्षित क्षेत्रों में, जहां उनके किन्हीं जलाशयों/नदियों/जलनिकायों में नौकायन की संभावना हो, विभिन्न प्रकार की नौकायन गतिविधियों के लिए नौकायन संचालन के नियम तथा शुल्क का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अनुमोदन उपरांत उक्त गतिविधि प्रारंभ की जा सकेंगी।

10.2 केवल राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में मोटर चलित नौका से प्रति व्यक्ति प्रति घण्टे नौकायन हेतु रूपये 150/– प्रति पर्यटक नियमानुसार शुल्क देय होगा।

11. **गाइड एवं पर्यटक सहायक**

DRAFT

11.1 किसी संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन अथवा फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु उनके साथ संचालक/क्षेत्र संचालक/वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी अथवा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा नामांकित प्रतिनिधि/ पंजीकृत स्थानीय गाइड/ पर्यटक सहायक अनिवार्य रूप से जाएगा। स्थानीय गाइड/ पर्यटक सहायक वह व्यक्ति होगा जो उस जिले या उन जिलों का हो, जिनमें संरक्षित क्षेत्र स्थित है और सामान्यतः वहां निवास करता हो जहां राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य स्थित हों।

11.2 गाइड/पर्यटक सहायक के लिए न्यूनतम अर्हताएं :

11.2.1 गाइड श्रेणी जी–1 : 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी का कामचलाऊ ज्ञान, सभी स्तनधारी वन्यप्राणियों एवं सामान्य पक्षियों की पहचान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में के वनों के संबंध में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणियों के रास्तों एवं चिह्नों का ज्ञान, वन्य प्राणी आकलन प्रकिया एवं वर्तमान वन्य प्राणी आंकलित संख्या का ज्ञान, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पर्यटन नियमों, राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में क्या करें तथा क्या न करें की जानकारी, उनके भूगोल एवं भू–आकृति का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण–पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव, तथा ईकोटूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित न्यूनतम अर्हता मानदण्डों का पूर्ण करता हो।

11.2.2 गाइड श्रेणी जी–2 : वन्यप्राणियों का ज्ञान, वन में मार्गों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के विषय में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणी प्रबंधन, वन्य प्राणी व्यवहार एवं रहवास आदि का ज्ञान, पर्यटन नियमों, 'क्या करें तथा क्या न करें' की जानकारी, अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा तथा ईकोटूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित न्यूनतम अर्हता मानदण्डों का पूर्ण करता हो।

11.2.3 पर्यटक सहायकः कोई भी स्थानीय व्यक्ति जो संरक्षित क्षेत्र के भीतर ट्रेकिंग, केंपिंग कर रहे पर्यटकों के साथ पर्यटक सहायक का काम करने हेतु इच्छुक हो।

11.3 गाइड की सेवाएं लेने हेतु निम्नांकित शुल्क देय होगा : –

क्रमांक	श्रेणी	गाइड/ पर्यटक सहायक शुल्क (रू.)		
		वाहन से भ्रमण (एक राउंड)	ट्रैकिंग/साइकिलिंग (प्रतिदिन)	कैम्पिंग (दो दिन व एक रात्रि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

क्रमांक	श्रेणी	गाइड/ पर्यटक सहायक शुल्क (रू.)		
		वाहन से भ्रमण (एक राउंड)	ट्रैकिंग/साइकिलिंग (प्रतिदिन)	कैम्पिंग (दो दिन व एक रात्रि)
1	G-1	500	1000	2000
2	G-2	360	700	1400
3	पर्यटक सहायक	—	500	1000

11.3.1 पूरे दिन के लिए गाइड लिए जाने पर उन्हें ट्रेकिंग/साइकिलिंग हेतु नियत शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

11.3.2 **विशेष दर्शनीय स्थानों** (केन घड़ियाल अभयारण्य के रनेहफाल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पांडव फाल आदि) जहां कि गाइड की सेवाएं अल्प अवधि के लिए ली जाती हैं, सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आनुपातिक दरें नियत करेंगे।

12. पर्यटन अवधि, क्षेत्र आदि का नियमन

12.1 सामान्यतः वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य, सैलाना अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य, ओरछा अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फाल, केन घड़ियाल अभयारण्य में रनेहफाल, पचमढ़ी स्थित दर्शनीय स्थल, चिड़ीखोह (नरसिंहगढ़ अभयारण्य), रातापानी अभयारण्य में भीमबैठका बर्रूसोत व देलाबाड़ी, मुकुन्दपुर चिड़ियाघर, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के पर्यटन जोन में वर्ष की कोई अवधि बंद नहीं होगी। संरक्षित क्षेत्रों के भारसाधक अधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक अन्य किसी क्षेत्र को वर्षभर खुला रखने हेतु अधिसूचित कर सकेंगे। किंतु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उससे होने वाले संभावित दुष्प्रभावों का आकलन कर उनको नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली जाए।

12.2 उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक की अवधि में पर्यटन या फोटोचित्रण के प्रयोजन से प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वर्ष की शेष अवधि में ये क्षेत्र पर्यटन एवं फोटोचित्रण के प्रयोजन से खुले रहेंगे। 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तात्कालिक मौसम परिस्थितियों एवं अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी संपूर्ण/सीमित पर्यटन क्षेत्रों एवं उनके अंतर्गत वन मार्गों को पर्यटन हेतु खोलेंगे।

DRAFT

12.3 राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में वाहन से भ्रमण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के अनुरूप निर्धारित कर समय–समय पर परिवर्तित किया जाएगा। प्रवेश एवं बाहर आने का वास्तविक समय अधिसूचित कर पार्क के प्रवेश द्वारों के सूचना पट एवं अनुज्ञा पत्रों पर दर्ज किया जाएगा। टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में अवस्थित पर्यटन जोन में पर्यटक कोर क्षेत्र में अवस्थित जोन हेतु निर्धारित समय के आधा घंटा पश्चात् बाहर आ सकेंगे।

12.4 राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में अन्य पर्यटन गतिविधियों हेतु क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य, समय का निर्धारण कर अधिसूचित किया जाएगा।

12.5 स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी किसी दिवस/अवधि हेतु प्रवेश अथवा निर्गम के समय में परिवर्तन कर सकेंगे।

12.6 पर्यटन के लिए खुले मार्गों और इन मार्गों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या का विनिश्चय, क्षेत्र की पर्यटन धारण क्षमता के आधीन रहते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

12.7 यदि आवश्यक हो तो संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी धारा 28(1) के अधीन वर्णित प्रयोजनों के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बन्द क्षेत्र या मार्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

13. **विशेष शुल्क :**

संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी को मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से पर्यटक यातायात के परिणामस्वरूप वन्य जीवन तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कम–से–कम दो माह की पूर्व सूचना देने के उपरांत लिखित आदेश से किसी भी संवेदनशील या विशिष्ट क्षेत्र/मार्ग या गतिविधि पर विशेष दरों पर शुल्क अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

14. **पर्यटन से होने वाली आय का स्थानीय समुदायों से साझा किया जाना :**

चूंकि टाईगर रिजर्व तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों में प्रारंभिक रूप से पर्यटन वन्य जीव संसाधनों के गैर उपभोग से निरंतरता पाता है और स्थानीय समुदायों को मांसाहारी वन्यप्राणियों के द्वारा पालतु पशुओं के शिकार, जंगली शाकाहारियों द्वारा फसलों के नुकसान एवं आय में कमी के रूप में संरक्षण की कीमत चुकाना पड़ती है। एक वर्ष में उस संरक्षित क्षेत्र में, विकास निधि में जमा की गई पर्यटन की समस्त प्राप्तियों का एक तिहाई उस संरक्षित क्षेत्र की ईको विकास समितियों से साझा किया जाएगा।

15. **विविध :**

DRAFT

15.1 कोई अन्य पर्यटन सेवा या गतिविधि जिसका इस नियम में उल्लेख नहीं है या उल्लेख होने के बावजूद प्रबंधन की दृष्टि से अब तक अप्रारंभ है, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, म.प्र. की पूर्वानुमति से प्रारंभ की जा सकेगी। किंतु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उससे होने वाले संभावित दुष्प्रभावों का आकलन कर उनको नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली जाए।

15.2 संरक्षण संबंधी विषयों में पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों की बेहतर समझ बनाने के उद्देश्य से संरक्षित क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले "जंगल वालों के साथ एक शाम" कार्यक्रम में समस्त इच्छुक पर्यटकों, स्थानीय निवासियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

15.3 संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या का निर्धारण क्षेत्र की धारण क्षमता के आधार पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, म.प्र. द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वह अन्य गतिविधियों जैसे नौकायन, ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाथी पर भ्रमण, नेचर ट्रेल आदि के लिए पृथक्–पृथक् धारण क्षमता का भी निर्धारण करेगा।

15.4 वन्य प्राणी संरक्षण या प्रबंधन की दृष्टि से अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष या सभी व्यक्तियों के प्रवेश, भ्रमण अथवा उनके द्वारा किसी मार्ग या स्थल विशेष का उपयोग संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

15.5 फिल्मांकन, नौकायन, वाहन से वन्य जीव दर्शन हाथी पर भ्रमण, ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, कैपिंग एवं हाइड/मचान/वॉच टॉवर, आदि के उपयोग या भविष्य में प्रारंभ की जाने वाली नई पर्यटन गतिविधियों के लिए विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, म.प्र. द्वारा जारी किए जा सकेंगे, जो इन नियमों का भाग होंगे।

15.6 राज्य शासन की विशिष्ट अनुमति के बिना राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर कोई सभा, सम्मेलन, बैठक, आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध म.प्र. राज्य वन्य प्राणी मंडल, मध्यप्रदेश राज्य के वन विभाग के अधिकारियों की बैठकों, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा वन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा कार्यशालाओं के आयोजन पर लागू नहीं होगा।

DRAFT

15.7 संरक्षित क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कोई भी विज्ञापन, साइनबोर्ड, बैनर, चार्ट, आदि प्रदर्शित करना, चिपकाना, परिनिर्मित करना निषिद्ध होगा।

15.8 कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में किसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोटिस बोर्ड कूड़ादान अथवा अन्य किसी भी वस्तु अथवा स्थल पर लिखी गई बात, चिन्ह आदि को नष्ट नहीं करेगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा अथवा उसे विकृत नहीं करेगा।

15.9 पर्यटन और फिल्मांकन/फोटोग्राफी के प्रयोजन से वन्यप्राणियों को देखने के लिए स्पॉटलाइट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

15.10 संरक्षित क्षेत्र के भीतर अनुज्ञा पत्र की शर्तों अथवा प्रबंधन द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन होने पर कार्यवाही :

15.10.1 किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जिसने पर्यटन प्रयोजन के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश लिया हो और अनुज्ञा पत्र की शर्तों अथवा प्रबंधन द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया हो, परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी रूपये 2,000/– की क्षतिपूर्ति लेने का हकदार होगा एवं उक्त के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा किन्हीं अन्य विधिक उपबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियमों/उपबंधों के अनुसार विधिक कार्यवाही कर सकेगा। संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी उसके प्रवेश अनुज्ञा पत्र की शेष अवधि के लिए उसके प्रवेश को या तो अंशतः या पूर्णतः प्रतिबंधित भी कर सकेगा। क्षतिपूर्ति की राशि मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा जारी विस्तृत निर्देश अनुसार प्राप्त की जाएगी।

15.10.2 कैमरामेन अथवा फोटोग्राफी/फिल्मांकन टीम के उसके सहायक द्वारा कोई उल्लंघन, किया जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा की गई किसी विधिक कार्रवाई के अतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञा की शेष अवधि को कुछ अथवा पूर्ण अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

15.10.3 पंजीकृत वाहन/नौका के चालक/नाविक द्वारा और उसमें उपस्थित गाइड द्वारा कोई उल्लंघन किए जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा विधिक कार्रवाई के साथ–साथ एवं विधिक कार्रवाईयों के अतिरिक्त परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न स्तर का अधिकारी रूपये 2,000/– की क्षतिपूर्ति लेने का हकदार होगा, प्रथम उल्लंघन की दशा में, उनका प्रवेश, साथ ही उनके वाहन/नौका का प्रवेश सात दिन के लिए, दूसरी बार उल्लंघन किए जाने

DRAFT

की दशा में, एक मास के लिए और तीसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, शेष पर्यटन वर्ष (1 जुलाई से 30 जून आगामी वर्ष) के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा। ऐसे पंजीकृत वाहन/नौकाएं और उनके चालक/नाविक तथा गाइडों का प्रवेश जो पिछले दो वर्ष के दौरान तीन बार दंडित किए जा चुके हों, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में आगामी दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

15.10.4 संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी आदतन उल्लंघनकर्ता को या घोर कदाचार अथवा नियमों के भंग में लिप्त किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

15.10.5 इस उपनियम के अधीन प्रवेश प्रतिबंधित करने की कोई भी कार्यवाही प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

15.11 दीपावली तथा होली के शासकीय अवकाशों पर समस्त संरक्षित क्षेत्र पर्यटन और वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, उन अन्य दिनों का, जिनको कि पर्यटन और वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए संरक्षित क्षेत्र बंद रहेंगे, विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

15.12 इस अधिसूचना से लागू दरें आगामी अधिसूचना तक लागू रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

DRAFT